20

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 26–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–6–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल खरौध तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर प्रकरण कमांक 8/अ–12/2013–14.

1. राममिलन चौकसे पुत्र स्व0 श्री मिठाई चौकसे
2. विनोद कुमार चौकसे पुत्र स्व0 श्री मिठाई चौकसे
   निवासीगण वार्ड कमांक 21 डिपो के पास
   शहडोल जिला शहडोल

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

शिवप्रसाद रैदास पुत्र श्री बलवंता रैदास
ग्राम घोंधरी तहसील पुष्पराजगढ़ जिला
अनूपपुर

––––– अनावेदक

– – –

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक – अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 14 दिसम्बर 2015)

– – – – –

यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल खरौध तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर के आदेश दिनांक 25–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक शिवप्रसाद ने ग्राम घोंधरी स्थित आराजी कमांक 322/2 रकवा 0.405 हे0 के तर्मीम/सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक वृत खमरौध के समक्ष प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 25–6–14 के द्वारा सीमांकन स्वीकृत किया गया। राजस्व निरीक्षक के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदकगण द्वारा पूर्व में प्रकरण कमांक 68/अ–12/05–06 में पारित आदेश दिनांक 25–6–2006 द्वारा सर्वे कमांक 321 का सीमांकन कराया था। इस पर अनावेदक सहखातेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की और न इसे कहीं आक्षेपित किया। अनावेदक द्वारा पूर्व में सीमांकन हेतु आवेदन किया था प्रकरण कमांक 10/तह0/2014 में स्वयं अनावेदक द्वारा सर्वे कमांक 322 के 3 बटे कमांक होना एवं नक्शा तरमीम न होने के कारण नक्शा तरमीम के पश्चात सीमांकन की सहमति दी गई। अनावेदक ने 322/2 के सीमांकन हेतु आवेदन किया था जबकि राजस्व निरीक्षक ने आवेदकगण को सूचना दिये बिना नक्शे में तरमीम न होते हुये सीमांकन किया गया। जिस पर सहखातेदार होने से आवेदकगण ने आपत्तियां भी की, किन्तु उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना दिनांक 25–6–14 को सीमांकन किया गया। अतः राजस्व निरीक्षक का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदकगण ने अपने धारा 5 के आवेदन में स्वयं यह लेख किया है कि उसे सीमांकन की जानकारी थी तब उनके द्वारा इस न्यायालय में दिनांक

5–1–15 को निगरानी विलम्ब से क्यों प्रस्तुत की गई इसका कोई समाधानकारक कारण नहीं बताया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्ययालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने सरहदी कास्तकारों को दिनांक 25–5–14 को सीमांकन किये जाने बावत सूचना जारी की गई है जिसपर आवेदक विनोद कुमार के हस्ताक्षर भी हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 05–05–14 को आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी, जिसके पश्चात ही आवेदकगण को सूचना देने के उपरांत पुनः उक्त आराजी का सीमांकन सरहदी कृषकों की उपस्थिति में किया गया। स्पष्ट है कि आवेदकगण को उक्त आदेश की जानकारी तत्समय ही थी। इसके बावजूद भी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में 4 माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिसका कोई समाधानकारक कारण भी म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में नहीं बताया है। दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण दर्शाये जाने पर ही विलम्ब को माफ किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी समयबाधित होने से निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर